52/14 52/14 bt 16/12/15

25/2/15

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

AAP-A Crim-I

9/6/15 29/4/15 16/9/15 27/5/15 18/11/15 7/1/16

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जालेसर मुकाम जालेसर ? बनाम ताराचन्द वगैरा

किस्म मुकदमा 212 R.T.Act नं. 52/14 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/8/14	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली पर स्थगन बाबत सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण की गम्भीरता के मद्देनजर अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है की खेत. खसरा नम्बर 1824, 1008 ग्राम रणजीत सागर एवं खसरा नम्बर 1283 मौजा मोती सागर पटवार हल्का चारू तहसील जालेसर में मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं बेचान नही करे। अप्रार्थीगण के [illegible] पत्रावली बाद [illegible] पेश हो।	9/3/16 25/5/16

उपखण्ड अधिकारी जालेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
5/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय परिसर मे तीन आवाज लगाई गई। अप्रार्थी 1 से 5, 7, 8 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 5, 7, 8 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। पत्रावली मे बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि वक्त सेटलमेन्ट सम्वत् 2012–13 मे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1124 एवं 1283 मौजा ग्राम चामू जो वर्तमान मे ग्राम रणजीतसागर व मोतीसागर मे स्थित है आईदान, शिवनाथ, रूधनाथ, रूपराम पिसराम अमरचन्द के नाम दर्ज हुई थी। रघुनाथ पुत्र अमरचन्द का देहान्त वर्ष 1975 मे हो गया था तथा रघुनाथी के जीवनकाल मे तत्कालीन रिति रिवाज के अनुसार प्रार्थी को रधुनाथ वर्ष 1965 मे गोद पुत्र का दस्तुर किया गया इस दस्तुत मे अमरचन्द के सभी वारीशान रिश्तेदार की मौजुदगी मे रघुनाथ ने प्रार्थी को गोद लिया गया था। अमरचन्द के चार पुत्रो मे रूपाराम लाऔलाद फौत हो चुके जिनका देहान्त वर्ष 1986 मे हो चुका है। प्रार्थी के गोद पिता रूधुनाथ का देहान्त वर्ष 1975 मे हो चुका है। शिवनाथ का देहान्त वर्ष 1972 मे हो चुका व आईदान का देहान्त वर्ष 1954–55 मे हो चुका है। इस तरह वंशावली के अनुसार खसरा नम्बर 1124 मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 6 से 8 का 1/3 हिस्सा है। खसरा नम्बर 1283 मे शिवनाथ व रूपाराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने जीवनकाल मे बेचान कर दिया बेचान करने के बाद शेष 1/2 हिस्से की भूमि 62.03 बीघा भूमि मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा यानि 31.02 बीघा भूमि व शेष भूमि 31.01 बीघा प्रार्थी संख्या 1 से 5 आईदान के वारीसान के हक हिस्से मे रही। प्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर स्थगन आदेश ताफैसला जारी करने का अनुरोध किया गया। अप्रार्थी संख्या 6/1 से 6/5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब न्यायालय मे पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी का हिस्सा रेकर्ड मे 1/9 लिखा हुआ है। 1/9 हिस्से मे मिश्रीलाल पुत्र आईदान लिखा हुआ है तथा जबाब देहिन्दा का 1/9 हिस्सा निहित है मगर सम्पूर्ण खसरे की भूमि पर सैटलमेन्ट से लेकर आज तक मौके पर कब्जा व काश्त पूर्व मे शिवनाथ का शिवनाथ के शान्त होने के बाद मौके पर कब्जा काश्त स्व. खेतमल का रहा और वर्तमान मे मौका पर कब्जा काश्त स्व. खेतमल के वारीशान का है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव मे खारिज [illegible] है। हमने पत्रावली का [illegible] पर मनन किया गया। पत्रावली [illegible] कि उक्त वाद का मुख्य बिन्[illegible]है। वादी उक्त वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का ह[illegible] अधिकार रखता है या नही उक्त बिन्दु मूल वाद मे जरिये साक्ष्यों सिद्व होगा। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड या मौकी स्थिति मे किसी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार का परिवर्तन होता है तो इससे प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन, अपूरनीय क्षति एवं प्रथम दृष्ठया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी की भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner